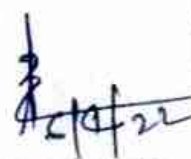


अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

आदेश पत्रक

वाद संख्या :- 6/15 एच डि/2022-23

उपल देलोन
 नाम :- रामनिरकर
 पिता :- एन गोपाल देलोन
 मौजा :- देरा पेकरिया

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3
6/4/22	आज दिनांक 6/4/22 को आवेदक उपल देलोन पिता- एन गोपाल, ग्राम- देरा पेकरिया के द्वारा मौजा देरा पेकरिया थाना सं- 167 खाता सं- 88, प्लॉट सं- 557 रकबा- 0.01 ए, किस्म जमीन पक्का कटन में विवाद के संबंध में एनीना एंकेपी निवा. एनएमएन आवेदन किया गया है अतः उक्त के आलोक में ईलाका मानकी/ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 20/4/22 तक करें। अभिलेख दिनांक- 20/4/22 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी तांतनगर।	
20/4/22	अभिलेख उपस्थापित। ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन सुप्रा है उक्त एन गोपाल प्रतिवेदन की मांग की गई एवं देरा पेकरिया के निवासी एनीना एंकेपी निवा. एनएमएन का निर्माण कार्य जारी रने का निवेदन भी है।	

ज. निदेश देते हुए पंचायत पुनर्गठन
पंचायत पुनर्गठन 2022 के पञ्चम तहसील, विस्तरहीम पंचायत पुनर्गठन
2022 के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पुनर्गठन के पञ्चम अधिवेशन
दिनांक 15/11/22 को उपस्थित करें।

[Signature]

15/11/22 अधिवेशन उपस्थित।

ग्रामीण गुंडा, राजस्थान उप निरीक्षक एवं अध्यक्ष निरीक्षक का गाँव
प्रतिवेदन प्राप्त हुआ उनके गाँव प्रतिवेदन के अनुसार भौतिक
दोहा - पेपरलिम, भागा 7 - 167 एका - 88 फीट - 550
रकबा - 0.01 ए. विस्तर भूमि गडन कटन है एकरिमाय में उक्त
गाँव गोपाल भाड़ी के दखल में रहे हैं। उक्त गाँव पर
प्रथम पक्ष उमाल हेल्थ के द्वारा चारदीवारी बनाई गई है
जिसे पुनः तोड़ कर जीर्णोद्धार किया जा रहा था परन्तु
द्वितीय पक्ष गोपाल हेल्थ के द्वारा दादु हेल्थ के द्वारा
अपशिष्ट डी गाँव रही है कि उनके द्वारा कड़ा का चारदीवारी
बनाई जा रही है।

ग्रामीण गुंडा, राजस्थान उप निरीक्षक दोहा
अध्यक्ष निरीक्षक के गाँव प्रतिवेदन का आलोचना किया गया।
दोनों पक्षों से दिनांक 20/11/22 को उपस्थित होने के लिए
अभिहित किया गया।

अधिवेशन दिनांक 20/11/22 को उपस्थित करें।

[Signature]

20/11/22 अधिवेशन उपस्थित।

दिनांक 20/11/22 को ग्रामीण गुंडा के अध्यक्ष दोहा पक्ष
उपस्थित हुए। ग्रामीण गुंडा एवं राजस्थान उप निरीक्षक के गाँव के
आलोचना में दोहा पक्ष को स. निदेश दिया गया कि उक्त
निषेध लीला संस्था निषेध के सीमा का पट्टन करें हेतु
अध्यक्ष भूमि से प्रतिनिधित्व की गाँवगी तहसील निषेध
एकल पर दिल्ली पट्टन का निर्माण करने ना करें। अध्यक्ष भूमि

को उक्त व्यक्त का गोंद रेडू खनि/दिमा गमा अंशक मपीन
ये दिनांक 17/8/22 को गोंद प्रतिकेन की मांग की गई।
एवं दोनों पक्षों को दिनांक 17/8/22 को उपस्थित होने के लिए अनुरोध किया गया।
अभिलेख दिनांक 17/8/22 को उपस्थापित करें।

- 17/8/22

17/8/22

अभिलेख उपस्थापित।

दिनांक 17/8/22 को दोनों पक्ष उपस्थित हुए। अंशक मपीन
अ का गोंद प्रतिकेन भी प्राप्त है अंशक मपीन के गोंद
प्रतिकेन के अनुसार खसम भोगा- देगा 132.50 रु
में सरकारी पर गारर विचारित। यह खसम 559 को
एवं नक्का के मिलान किया गया उलटा सौदा 0.01 रु
भी निकाल दी गई एवं उक्त पक्षों का सीमाना दोनों
पक्षों को दिया दी गई जिस पर दोनों पक्षों ने संतुष्टि
आदि की एवं दोनों किसी प्रकार का अपमान नहीं है।
अइस संबंध में पुनः दोनों पक्षों को अंशक अधिकारी
द्वारा पुछा गया इस पर दोनों किसी प्रकार का अपमान
नहीं की एवं इस पर दोनों को सादेगा दी गई कि
भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं करे एवं
आदि अनुरोध वनाये रहने अनुरोध उपर उरनी
सालाई की जायेगी अतः दोनों को आदि पूर्वक
इस आदेश करने की सादेगा दी गई।

17/8/22